

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,  
अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण,  
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रमुख सचिव  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन  
लखनऊ।

पत्रांक/१५३/(11)/प्रब०-अ०फ०वि०प्रा०/2018-19

विषय:- अनाधिकृत कालोनियो के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में आप द्वारा मौंगी गयी वाचित सूचना निम्नवत प्रेषित है:-

क्र०	कालोनी/ सोसायटी का नाम	विकास कर्ता का नाम	अवैध कालोनी बसने की अवैध लगभग	अवैध कालोनी का क्षेत्रफल लगभग	राजस्व छानि लगभग (प्राह्य विकास शुल्क)	आनुचित्य
1	पर्य कुटी शीन गौरा पट्टी, फैजाबाद	श्री लाज गुहामद	लगभग 2 वर्ष	4000.00	95,48,000.00	धर्मस्तीकरण आदेश पारित करते हुए विठ्ठल क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
2	बद्धुदी ग्रानरिटी गौरा पट्टी, फैजाबाद	श्री देवेन्द्र सिंह	लगभग 2 वर्ष	6000.00	1,43,22,000.00	धर्मस्तीकरण आदेश पारित करते हुए विठ्ठल क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
3	साइ ग्रानरिटी गौरा पट्टी फैजाबाद	श्री गहेन्द्र सिंह	लगभग 3 वर्ष	5000.00	1,19,35,000.00	धर्मस्तीकरण आदेश पारित करते हुए विठ्ठल क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
4	सरदू सिटी गौरा पट्टी फैजाबाद	श्री विकली सिंह	लगभग 4 वर्ष	4000	95,48,000.00	धर्मस्तीकरण आदेश पारित करते हुए विठ्ठल क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
5	सिविल लाइन फैजाबाद	श्री झनूप सिंह	लगभग 6 वर्ष	4000 योग	1,26,00,000.00 579.53 लाख	धर्मस्तीकरण आदेश पारित करते हुए विठ्ठल क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

कृपया उपरोक्त सभी प्रकरणों में विकास प्राधिकरण की रेसा में प्राथमिकी संख्या 33/17-18 दिनांक 06.02.2018 एवं 73/अ०फ०वि०प्रा०/17-18 दिनांक 24.03.2018 के आधार पर रेसा द्वारा रेसा अधिनियम 2016 की धारा—59 संपत्ति धारा (3) में अवैध विकास कर्ताओं को नोटिस दिनांक 26.06.2018 को निर्गत कर दिये गये है।

भवदीय  
(ओम प्रकाश राय)

उपाध्यक्ष  
अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण

१३५३ ९८८

1357

Mukesh

Ex-BP

## कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक— /रेा-11 अवैध भूमि वि०/ 2018-19      दिनांक ॥, सितम्बर, 2018  
सेवा में.

श्री ताज मोहम्मद,  
पर्ण कुटी ग्रीन, गौरा पट्टी,  
फैजाबाद।

विषय:- अवैध कालोनी पर प्रगावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1428-आठ-8-2018-194काम्प/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

### निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को चिह्नित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

### निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता/कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलगृह अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा आपके द्वारा किये गये अवैध भू-विकास किये जाने पर वाह्य विकास, आन्तरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क मद में कुल धनराशि रु०-95,48,000.00 ( पन्चानवे लाख अङ्गालिस हजार रुपये मात्र ) की गणना की गयी है। उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के द्वारा उपरोक्त धनराशि आपसे वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया वांछित धनराशि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जगा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के अनुरार गू. राजस्व की माँति वसूली की जायेगी।

( एम० के० मिश्र )  
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि संख्या- 368D / तददिनांक

1. सहायक अभियंता ( प्रवर्तन ) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

( एम० के० मिश्र )  
अधिशासी अभियंता

## कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक— /रेरा-11 अवैध मूमि वि०/2018-19 दिनांक ||, सितम्बर, 2018  
सेवा में,

श्री देवेन्द्र सिंह,  
पंखुड़ी ग्रीनसिटी, गोरा पट्टी,  
फैजाबाद।

विषय:- अवैध कालोनी पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1428-आठ-8-2018-194काम्प/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलग सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

### निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को विनिःत कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

### निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता/कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को गूलगूत अवरथापना सुविधाएं उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा आपके द्वारा किये गये अवैध भू-विकास किये जाने पर वाह्य विकास, आनारिक विकास एवं भू-प्रभाजन शुल्क गद में कुल धनराशि ₹०-1,43,22,000.00 ( एक करोड़ तीन लाख बाह्सा हजार रुपये मात्र ) की गणना की गयी है। उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के द्वारा उपरोक्त धनराशि आपसे वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया वांछित धनराशि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि उम्मीदवालों द्वारा अवैध घोषित करायी जाय।

( एम० के० मिश्र )  
अधिशासी अभियंता

### प्रतिलिपि संख्या- 3681 / तददिनांक

1/ सहायक अभियंता ( प्रवर्तन ) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

( एम० के० मिश्र )  
अधिशासी अभियंता

## कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक— /रेरा-11 अवैध भूमि वि०/ 2018-19 दिनांक ॥, सितम्बर, 2018  
सौचा में,

श्री महेन्द्र सिंह,  
साई सिटी, गौरा पट्टी,  
फैजाबाद।

विषय— अवैध कालोनी पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1428-आठ-४-2018-194काम्प/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

### निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु गुल्मी रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को विनिहित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

### निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता/कालोनाइजर की साम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता हारा आपके हारा किये गये अवैध भू-विकास किये जाने पर वाह्य विकास, आन्तरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क मद में कुल धनराशि रु०-०१,१९,३५,०००.०० ( एक करोड़ उन्नीस लाख पाँतीस हजार रुपये मात्र ) की गणना की गयी है। उपाय्या, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के हारा उपरोक्त धनराशि आपसे वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया वॉल्ड धनराशि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-४० के अनुसार भू राजस्व की भौति वसूली की जायेगी।

( एम० के० गिश्र )  
अधिशासी अभियंता

### प्रतिलिपि संख्या-3682/ तददिनांक

✓ सहायक अभियंता ( प्रवर्तन ) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

( एम० के० गिश्र )  
अधिशासी अभियंता

गुलाब स.ल./excin  
B.6/b  
21/09/18

## कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक— /रेरा-11 अवैघ मूभि वि०/ 2018-19 दिनांक 11, सितम्बर, 2018  
सेवा में.

श्री विवकी सिंह,  
रारयू सिटी, गौरा पट्टी,  
फैजाबाद।

विषय:- अवैघ कालोनी पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।  
महोदय।

कृपया उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1428-आठ-8-2018-194काम्प/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ यहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलग सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

### निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोधी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

### निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोधी विकासकर्ता/कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलभूत अवस्थापना सुनिश्चित उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में साम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अग्रियंता द्वारा आपके द्वारा किये गये अवैघ भू-विकास किये जाने पर बाह्य विकास, आन्तरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क मद में कुल धनराशि ₹०-95,48,000.00 ( पन्चानवे लाख अड़तालिस हजार रुपये गात्र ) की गणना की गयी है। उपाध्या, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के द्वारा उपरोक्त धनराशि आपसे वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया वॉर्डिंग धनराशि पत्र प्राप्ति के एक साताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की घारा-४० के अनुसार भू राजस्य की भौति वसूली की जायेगी।

( एग० के० मिश्र )  
अधिकारी अभियंता

### प्रतिलिपि संख्या-3683/तददिनांक

✓ सहायक अग्रियंता ( प्रपर्तन ) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

( एम० के० मिश्र )  
अधिकारी अभियंता

कार्यालय प्रतिलिपि  
३६८३  
१२.०९.१८  
रा

## कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक— /रेा-11 अवैध भूमि वि०/2018-19      दिनांक ||, सितम्बर, 2018  
सेवा में,

श्री अनूप सिंह,  
सिविल लाइन,  
फैजाबाद।

विषय:- अवैध कालोनी पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त के रांची में शासनादेश संख्या-1428-आठ-8-2018-194काम्प/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता/कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलभूत अपर्खापना सुविधाएं उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में रामनिधि अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा आपके द्वारा किये गये अवैध भू-विकास किये जाने पर वाह्य विकास, आन्तरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क मद में कुल धनराशि ₹०-०1,26,00,000.00 ( एक करोड़ छब्बीस लाख रुपये मात्र ) की गणना की गयी है। उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के द्वारा उपरोक्त धनराशि आपरो वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया वॉछित धनराशि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि ३० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के अनुसार गू राजरव की माँति वसूली की जायेगी।

( एग० के० गिश्र )  
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि संख्या-3684/तददिनांक

✓ सहायक अभियंता ( प्रवर्तन ) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही रुनिश्चित करायी जाय।

( एम० के० गिश्र )  
अधिशासी अभियंता

महीनों पुनर्नियम  
13.6.18